

## नईदिया

# पाकिस्तान संसद के संयुक्त सत्र में हंगामे के बीच चार विधेयक पारित, पीईसीए पर नारेबाजी

## इस्लामाबाद

मुल्क के प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान तहारीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संसदीय सत्र के हंगामे के बीच संघीय सकार करने से संसद के संवैधानिक सत्र में विधेयकों के अनुरोध ने खारिज कर दिया। पीटीआई ने तीन हाईसी में तख्तजयं लेकर सदन में दाखिल हुए और पीईसीए अधिनियम अस्वीकार्य और पत्रकारों का उत्तीर्ण अस्वीकार्य जैसे नाम लगाए। पत्रकारों ने इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण अधिनियम (पीईसीए) 2016 में गुरुवार को प्रारंभ किया था।

किए गए संशोधनों का विरोध करते हुए सत्र को करव करते समय बाज़ पर काली पट्टियां वाली। विपक्षी नेता उमर अंयूब के ओचित्य के प्रस्तुत पर बोलने के अनुरोध को नेशनल असेंबली अध्यक्ष अयाज सादन ने खारिज कर दिया। इस पर विपक्षी सदस्यों ने अपनी सीटों पर खड़े होकर नाम लगाए और विधायी एजेंडे की प्रतीक्षा फाइदी। हंगामे के बावजूद सकार चार विधेयकों का पारित करने में सफल रही। यह विधेयक 2021, आयात और

नियंत नियामक (संशोधन) विधेयक 2023, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 2024, राष्ट्रीय उत्कृष्टा संस्थान विधेयक 2024। हालांकि, राष्ट्रीय मानव विकास आयोग (संशोधन) विधेयक 2023, एनएसीईस्टरीयूरो ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामा जारी है। कल इलेक्ट्रॉनिक अपराध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2025 पारित होने से पहले विपक्षी दलों ने वाकाउट किया था। पत्रकार संगठनों ने इस संशोधन की कड़ी आलोचना की है।



## न्यूज ब्रीफ

अमेरिका में पूर्व पुलिस अधिकारी जेफरी नेल्सन को हत्या के केस में 16 साल और आठ महीने जेल की सजा



केंट (अमेरिका) केंट के मारेंग क्षेत्रीय न्याय केंट (अदालत) ने गुरुवार को 26 वर्षीय जेसी सारे हत्याकाड़ पर फैसला सुना दिया। अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी जेफरी नेल्सन को दोषी घोषित हुए 16 साल और आठ महीने जेल की सजा सुनाई। जेसी सारे की 31 मई, 2019 को ऑर्बर्बाह बाजार के आसपास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सजा का ऐलान किंग काउंटी सुपरिंसियर कोर्ट के न्यायालय निकल गेस फैल्स के बाहर नेल्सन को वाशिंगटन में गिरफतार किया गया था। इस फैले से वह पुलिसकर्मी द्वारा किया गया था। अमेरिका ने राज्य की मानक सीमा के तहत सबसे लंबी सजा 18 साल और चार महीने की मांग की थी। अदालत ने जेफरी नेल्सन के द्वारा करने के देखते हुए 16 साल और आठ महीने जेल की सजा सुनाई। जेसी ने पूर्व पुलिस अधिकारी 46 वर्षीय नेल्सन को रेकॉर्ड-डिग्री हत्या और फर्स्ट-डिग्री हत्याएं को दोषी घोषिया की। ऑर्बर्बाह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सैम बेट्ट का कहना है कि नेल्सन का आचरण अच्छा रहा है। उन्होंने वीरता पुरस्कार भी दिया गया था। इसी वजह से हत्या का आरोप लाने के बाद पुलिस भर्ती पोस्टरों पर उनकी छिपा की इस्तेमाल किया गया।

पाकिस्तान में स्वतंत्र पत्रकारिता की रिपोर्ट में दावा किया गया है। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (चैचआरसीपी) ने गुरुवार को 26 वर्षीय जेसी सारे हत्याकाड़ पर फैसला सुना दिया। अदालत ने पूर्व पुलिस अधिकारी जेफरी नेल्सन को दोषी घोषित हुए 16 साल और आठ महीने जेल की सजा सुनाई। जेसी सारे की 31 मई, 2019 को ऑर्बर्बाह बाजार के आसपास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सजा का ऐलान किंग काउंटी सुपरिंसियर कोर्ट के न्यायालय निकल गेस फैल्स के बाहर नेल्सन को वाशिंगटन में गिरफतार किया गया था। इस फैले से वह पुलिसकर्मी द्वारा किया गया था। अमेरिका ने राज्य की मानक सीमा के तहत सबसे लंबी सजा 18 साल और चार महीने की मांग की थी। अदालत ने जेफरी नेल्सन के द्वारा करने के देखते हुए 16 साल और आठ महीने जेल की सजा सुनाई। जेसी ने पूर्व पुलिस अधिकारी 46 वर्षीय नेल्सन को रेकॉर्ड-डिग्री हत्या और फर्स्ट-डिग्री हत्याएं को दोषी घोषिया की। ऑर्बर्बाह पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सैम बेट्ट का कहना है कि नेल्सन का आचरण अच्छा रहा है। उन्होंने वीरता पुरस्कार भी दिया गया था। इसी वजह से हत्या का आरोप लाने के बाद पुलिस भर्ती पोस्टरों पर उनकी छिपा की इस्तेमाल किया गया।

खालिदा जिया को लंदन में अत्याताल से बेटे के घर शिष्ट करने की तैयारी

लंदन। बांगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अधिकारी बेगम खालिदा जिया को अत्याताल से उनके बेटे तारिक रहमान के लंदन रिस्त किंस्टन निवास पर शिष्ट किया जाएगा। उनकी

छालिदा जिया को लंदन में अत्याताल से बेटे के घर पर होगा। बेगम खालिदा इस समय दे लंदन विलिनके में भर्ती है।

बेगम खालिदा जिया को निजी विकासकर और बीएनपी स्थानीय समिति के संचाय डॉ. एजेंडर डॉसन ने गुरुवार को स्थानीय समयानुसार रात कर्वी

10:30 बजे दे लंदन विलिनके के सामने पत्रकारों से यह जानकारी राशिया की। उन्होंने कहा कि खालिदा जिया शुक्रवार रात को बेटे के घर जा रही है। घर पर डॉ. पैट्रिक केनडी और डॉ. जेफरी डॉसन की देखरेख में उनका इलाज जारी रहेगा। उन्होंने खालिदा जिया के टीक होने की प्रार्थना की है। डॉ. जाहिद ने कहा कि अमर उनकी सेहत में सुधार इसी दर से जारी रहा तो वह जल्द ही बांगलादेश लौट सकती है। हालांकि डॉ. जाहिद ने कहा कि खालिदा जिया के लिए प्रत्यारोपण के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सूखों के हवाले से यह जानकारी दी कि खालिदा जिया की उम्र और शारीरिक स्थिति को देखते हुए लिए प्रत्यारोपण की संभावना

फिलहाल कम है।

तीन छात्राओं की हत्या करने वाले युवक को उत्तर कैट, 52 साल बाद पैरोल पर होगा विचार

लंदन। बिटेन में 3 स्कूली छात्राओं की हत्या के मामले में दोषी कराए एक 18 साल के युवक को कठोर सजा सुनाई गई है।

कठोर की दोषी युवक को उत्तर कैट की सजा सुनाई है। उसे कम से कम 52

साल की सजा काटनी होगी, तब जाकर उत्तर कैट पर विचार किया जाएगा। अवसरे रुडाकुबाना (जो हत्या के समय 17 साल का था) ने सात से 13 साल के आठ अन्य बच्चों, योग ट्रेनर लीन तुकास और बिजेनसमैन जॉन हेस की हत्या का प्रयास करने का भी अपराध खींची किया था। लिवरपूल काउंटी में रुडाकुबाना हमले के समय 18 साल का होता है। उसे कुछ पूरी जिंदगी जल में बितानी पड़ती और उसे कभी रिहाई की दावा की गई थी। जेसी ने कहा कि अपराध की प्रतीक्षा जारी रही थी। उसे कठोर सजा सुनाई गई है।

कठोर की दोषी युवक को उत्तर कैट पर होगा। उसे कठोर की सजा सुनाई गई है।

उत्तर कैट की सजा सुनाई गई है।

तीन छात्राओं की हत्या करने वाले युवक को उत्तर कैट, 52 साल बाद पैरोल पर होगा विचार

लंदन। बिटेन में 3 स्कूली छात्राओं की हत्या के मामले में दोषी कराए एक 18 साल के युवक को कठोर सजा सुनाई गई है।

कठोर की दोषी युवक को उत्तर कैट की सजा सुनाई है।

उत्तर कैट की सजा सुनाई गई है।